कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख मध्य प्रदेश

क्रमांक/ 1285/स्था.एक/रा.नि./ 464739/2025, ग्वालियर,दिनांक 03-10-2025

प्रति,

(1) **समस्त कलेक्टर**
भू-अभिलेख
मध्यप्रदेश

(2) **समस्त क्षेत्रीय उपायुक्त भू-अभिलेख**
मध्यप्रदेश

(3) **उप-प्राचार्य**
राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर

(4) **प्राचार्य**
राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला
इन्दौर / उमरिया मध्यप्रदेश

(5) **समस्त अधीक्षक भू-अभिलेख**
मध्यप्रदेश

(6) **समस्त प्राधानाध्यापक**
पटवारी प्रशिक्षण शाला म.प्र.

विषयः- **राजस्व निरीक्षक संवर्ग की विभागीय परीक्षा आयोजित करने के संबंध मे सूचना।**

संदर्भ:- **कार्यालयीन पत्र क्र. 1106 स्था.एक/रा.नि./2025 दिनांक 20.08.25**

विषयांतर्गत लेख है कि राजस्व निरीक्षक संवर्ग की विभागीय परीक्षा प्रशासन अकादमी द्वारा माह अक्टूबर 2025 के अंतिम संप्ताह मे कराने का लेख किया गया है । शीघ्र ही तिथि निर्धारित होने पर पृथक से अवगत कराया जाएगा। अतः आपके कार्यालय अंतर्गत पदस्थ सभी रा.नि. को उक्त परीक्षा से अवगत कराने का कष्ट करें ताकि रा.नि. को परीक्षा की तैयारी हेतु समय मिल सके। इस परीक्षा हेतु प्रशासन अकादमी से प्राप्त पाठ्यक्रम पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

परीक्षा मे सम्मिलित होने वाले 458 अनुत्तीर्ण रा.नि. की जानकारी गूगल फार्म के माध्यम से कार्यालय मे प्राप्त की गई है। इन सभी अनुत्तीर्ण रा.नि. की पुष्टि/संशोधन हेतु भी कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से जिलों को लेख किया गया है।

(आयुक्त भू-अभिलेख व्दारा अनुमोदित)

3/10/25

प्रभारी अधीक्षक भू-अभिलेख
वास्ते-आयुक्त भू-अभिलेख मध्य प्रदेश

पृ. क्रमांक/ 1285/स्था.एक/रा.नि./ 464739/2025, ग्वालियर, दिनांक 03.10.2025

प्रतिलिपिः-

1. सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत।
2. श्री फिरोज अली,प्रांताध्यक्ष म.प्र. राजस्व निरीक्षक संघ हाउस नं. 27 नियर वाटर टैंक बालविहार रोड भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।

3/10/25

प्रभारी अधीक्षक भू-अभिलेख

वास्ते-आयुक्त भू-अभिलेख मध्य प्रदेश

कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। यदि प्रमाण पत्र MP-e-district पोर्टल के माध्यम से जारी किया गया है, तो ऐसे प्रमाण पत्र का सत्यापन पोर्टल से किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों की नियुक्ति चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में प्रदान की जायेगी, लेकिन चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन अनुसार अभ्यर्थी शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य पाया जाने पर ही उसे सेवा में स्थाई किया जायेगा।

कंडिका – 4 प्रशिक्षण

जूनियर प्रशासकीय सेवा के सदस्यों को सेवा के आरम्भ में एंव सेवा के मध्य, शासकीय सेवा निर्वहन में उपयोगी विषयों पर समय–समय पर निम्नानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

(I) आधारभूत / आधारभूत सह परिचयात्मक प्रशिक्षण–

जूनियर प्रशासकीय सेवा के सदस्यों को सेवा में प्रवेश के समय आधारभूत एवं परिचयात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस हेतु नोडल एजेन्सी आर.सी.वी.पी नरोन्हा प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल रहेगी। आधारभूत एवं परिचयात्मक प्रशिक्षण एक साथ आयोजित किया जा सकता है अथवा राज्य की अन्य सिविल सेवाओं के साथ आधारभूत प्रशिक्षण आयोजन उपरान्त पृथक से परिचयात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है। आधारभूत प्रशिक्षण एंव परिचयात्मक प्रशिक्षण के विषय एवं विवरण निम्नानुसार रहेंगे।

प्रशासकीय विधि तथा प्रक्रिया

विधियां	मुख्य धाराएं / कण्डिकाएं
सामान्य पुस्तक परिपत्र	भाग ए क क्रमांक 07, भाग दो क्रमांक 02, भाग दो क्रमांक 05, भाग दो क्रमांक 07, भाग दो क्रमांक 22, भाग तीन क्रमांक एक, भाग 04 क्रमांक 10 इत्यादि
म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961	संपूर्ण
म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965	संपूर्ण
म.प्र. सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966	संपूर्ण
म.प्र. मूलभूत नियम	नियम 11,12 क, 13, 14, 18, 22, 24, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 127

राजस्व विधि तथा प्रक्रिया

. 1/1/1/0017/2025-Estab-CLR (Computer No. 4647391) ... COMMISSIONER LAND RECORD on 03/10/2025 04:27 pm
...ted from eOffice by DEVENDRA KUMAR SONI, AG3(DKS), ASSISTANT GRADE 3, ...

कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। यदि प्रमाण पत्र MP-e-district पोर्टल के माध्यम से जारी किया गया है, तो ऐसे प्रमाण पत्र का सत्यापन पोर्टल से किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों की नियुक्ति चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में प्रदान की जायेगी, लेकिन चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन अनुसार अभ्यर्थी शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य पाया जाने पर ही उसे सेवा में स्थाई किया जायेगा।

कंडिका – 4 प्रशिक्षण

जूनियर प्रशासकीय सेवा के सदस्यों को सेवा के आरम्भ में एंव सेवा के मध्य, शासकीय सेवा निर्वहन में उपयोगी विषयों पर समय–समय पर निम्नानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

(I) आधारभूत / आधारभूत सह परिचयात्मक प्रशिक्षण–

जूनियर प्रशासकीय सेवा के सदस्यों को सेवा में प्रवेश के समय आधारभूत एवं परिचयात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस हेतु नोडल एजेन्सी आर.सी.वी.पी नरोन्हा प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल रहेगी। आधारभूत एवं परिचयात्मक प्रशिक्षण एक साथ आयोजित किया जा सकता है अथवा राज्य की अन्य सिविल सेवाओं के साथ आधारभूत प्रशिक्षण आयोजन उपरान्त पृथक से परिचयात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है। आधारभूत प्रशिक्षण एंव परिचयात्मक प्रशिक्षण के विषय एवं विवरण निम्नानुसार रहेंगे।

प्रशासकीय विधि तथा प्रक्रिया

विधियां	मुख्य धाराएं / कण्डिकाएं
सामान्य पुस्तक परिपत्र	भाग ए क क्रमांक 07, भाग दो क्रमांक 02, भाग दो क्रमांक 05, भाग दो क्रमांक 07, भाग दो क्रमांक 22, भाग तीन क्रमांक एक, भाग 04 क्रमांक 10 इत्यादि
म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961	संपूर्ण
म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965	संपूर्ण
म.प्र. सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966	संपूर्ण
म.प्र. मूलभूत नियम	नियम 11,12 क, 13, 14, 18, 22, 24, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 127

राजस्व विधि तथा प्रक्रिया

0. 1/1/1/0017/2025-Estab-CLR (Computer No. 464739)
...ted from eOffice by DEVENDRA KUMAR SONI, AG3(DKS), ASSISTANT GRADE 3, COMMISSIONER LAND RECORD on ...

राजस्व पुस्तक परिपत्र	खण्ड एक संपूर्ण, खण्ड दो संपूर्ण, खण्ड तीन क्रमांक 4, खण्ड चार, खण्ड छः क्रमांक 03, खण्ड छः क्रमांक 04 इत्यादि
म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959	संपूर्ण
भू–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013	संपूर्ण भू अर्जन अधिनियम 1894 एवं भू अर्जन अधिनियम 2013 में भिन्नताएं एवं समकक्ष प्रावधान

राजस्व विधि तथा प्रक्रिया – आदेश लेखन

विवरण
• राजस्व मामले में आदेश लेखन. • न्यायालयों प्रकरणों में आदेश पत्रिका लेखन.

दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया

विधियां	मुख्य धाराएं
1. भारतीय दण्ड संहिता 1881 (केवल वे धाराएं जो जूनियर प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों को जानना अत्यंत आवश्यक है)	Offences against public tranquility Offences against the state and promoting enmity etc.(sec. 153-a, 153-b & 295-a) Offences against and relating to public servants Contempt of lawful authority of public servants.
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (केवल वे धाराएं जो जूनियर प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों को जानना अत्यंत आवश्यक है)	• Inquest • Dispersal of unlawful assembly (sec. 129-132 cr.p.c.) • Public Nuisance-Principle and Practice • Criminal Trials • Security Proceedings (Chapter VIII-

0. 1/1/1/0017/2025-Estab-CLR (Computer No. 464739)
...ted from eOffice by DEVENDRA KUMAR SONI, AG3(DKS), ASSISTANT GRADE 3, COMMISSIONER LAND RECORD on 03/10/2025 04:37 pm

	Sec.107-124 Cr.PC)Court Procedure • Disputes as to Immovable Property, Breach of Peace (Sec.145-148) • Urgent Cases of Nuisance or Apprehended Danger (Sec. 144 Cr.P.C) including Promulgation of Curfew • Search and Seizure • Contempt of Court under Cr.P.C • Role of DM/SDM/Executive Magistrates in Criminal Administration Particularly under Cr.P.C • Police Incestigation • Criminal Process • Arrest, Remand and Bail • Appeal, Reference and Revision • 97,98,107,109,110,116,122,125,133,144,145,147,151,174,176,197,etc.
3. आयुध अधिनियम 1959	(केवल वे धाराएं जो जूनियर प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों को जानना अत्यंत आवश्यक है)
4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872	(केवल वे धाराएं जो जूनियर प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों को जानना अत्यंत आवश्यक है)
5. मोटरयान अधिनियम 1939 6. भारतीय वन अधिनियम 1927 7. पुलिस एक्ट 1861 8. जेल मैन्युअल 9. विस्फोटक अधिनियम 1908 10. स्टाम्प अधिनियम 1899 एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 11. खान एवं खनिज अधिनियम 1957 12. अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 13. कामकाजी महिलाओं का	(केवल वे धाराएं जो जूनियर प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों को जानना अत्यंत आवश्यक है)

1/1/1/0017/2025-Estab-CLR (Computer No. 4641590)
...ed from eOffice by DEVENDRA KUMAR SONI, AG3(DKS), ASSISTANT GRADE 3, COMMISSIONER LAND RECORD on 03/10/2025 04:23 pm

अधिनियम 2013 14. The Representation of the People Act, 1950 and 1951 and Conduct of Election Rules 1961	

दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया आदेश लेखन

विवरण
• दाण्डिक मामले में आदेश लेखन. • दाण्डिक मामले आदेश पत्रिका लेखन.

सिविल प्रक्रिया संहिता एवं विविध विधियां

पाठ्यक्रम
1. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (केवल वे धाराएं जो जूनियर प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों को जानना अत्यंत आवश्यक हैं) General Concepts, Types of Suits: Filing of Suits: Place of Suiting Appearance of Party and Consequence of Non-appearance, Settlement of Issues and Hearing of Suits Judgment and Decree-Preliminary and Final, Inherent Powers of Court. Appeal, Reference, Review, Revision and Suits by and Against Minor and persons of Unsound mind Defending of a Suit Interlocutory Matters Parties to a Suit - Necessary and Proper Party - Meaning Pleading - Meaning, Its Amendement, plaint, Written Statement

1/1/1/0017/2025-Estab-CLR (Computer No. 464739)
...ted from eOffice by DEVENDRA KUMAR SONI, AG3(DKS), ASSISTANT GRADE 3, COMMISSIONER LAND RECORD on 03/10/2025 04:37 pm

Injunction

- Issue of Commission, Abatement: Death and Marriage,

Withdrawal of Suits

2. सिविल, उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों मे शासन पक्ष का प्रतिरक्षण।
3. म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951
4. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
5. म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010
6. म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961
7. माता पिता एवं वरिष्ठ नागारिकों को भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

लेखा एवं वित्त

पाठ्यक्रम
1. 1. मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम, 2015.
2. मध्यप्रदेश सिरा चैलेंज नीति/नियम, 2014.
3 पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप नियम (Contract Management) के विशेष संदर्भ में.
4 मध्यप्रदेश कोषालय संहिता
5. मध्यप्रदेश अवकाश नियम, 1977.
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य.
7. मध्यप्रदेश शासन में योजना एवं बजट प्रक्रिया तथा पद्धतियां.
8. वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन

स्थानीय प्रशासन

पाठ्यक्रम
1. म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (केवल वे धाराएं जो जूनियर ...ों को जानना अन्तर्गत आवश्यक है)

No. 1/1/1/0017/2025-Estab-CLR (Computer No. 464736)
...ated from eOffice by DEVENDRA KUMAR SONI, AG3(DKS), ASSISTANT GRADE 3, COMMISSIONER LAND RECORD on 03/10/2025 04:27 pm

2. म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 (केवल वे धाराएं जो जूनियर प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों को जानना अत्यंत आवश्यक है)

3. म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (केवल वे धाराएं जो जूनियर प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों को जानना अत्यंत आवश्यक है)

4. म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास नियम) 2014

5. सम्पति विरूपण अधिनियम 1994

6. नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम

विविध

1. राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली तथा विभाग में लागू विभिन्न सॉफ्टवेयर का अध्ययन।
2. समय–समय पर शासन द्वारा किये जाने वाले नवाचार।
3. शासन की जनकल्याणकारी एवं हितग्राही मूलक योजनाएं।
4. आमजन की सुविधाओं के लिए शिकायत एवं आवेदन निराकरण की कम्प्यूटराइज्ड व्यवस्थाएं यथा सी. एम. हेल्प लाईन आदि।

यदि आधारभूत एवं परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम एक साथ आयोजित किया जाता है तो प्रशिक्षण कार्यक्रम कुल 10 सप्ताह का होगा जिसमें से 2 सप्ताह प्रशिक्षण भू अभिलेख एवं सर्वेक्षण से संबंधित होगा। भू–अभिलेख एवं सर्वेक्षण का प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी द्वारा कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख एवं बदोबस्त ग्वालियर के माध्यम से संपादित कराया जायेगा। यदि राज्य की अन्य सिविल सेवाओं के साथ आधारभूत प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आधारभूत प्रशिक्षण की अवधि का निर्णय आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी द्वारा किया जायेगा। इस स्थिति में परिचयात्मक प्रशिक्षण की अवधि कुल 07 सप्ताह की रहेगी, जिसमें से 02 सप्ताह प्रशिक्षण भू अभिलेख एंव सर्वेक्षण से संबंधित होगा।

(II) जिला स्तरीय प्रशिक्षण

सेवा के सदस्यों को आधारभूत एवं परिचयात्मक प्रशिक्षण के पश्चात एवं कार्य प्रारंभ के पूर्व, परिवीक्षाधीन अवधि में मैदानी कार्यालयों की कार्यप्रणाली, विभिन्न विभागों के कृत्य, संबंधित नियम, अधिनियम एवं उनका लागू किया जाना एवं स्थानीय निकायों/पंचायत राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली की जानकारी दिया जाना अति आवश्यक है। इस संबंध में प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 1478–79 दिनांक 20.03.2018 द्वारा विभिन्न राजस्व कार्यालयों

o. 1/1/1/0017/2025-Estab-CLR (Computer No. 4647339)
...ated from eOffice by DEVENDRA KUMAR SONI, AG3(DKS), ASSISTANT GRADE 3, COMMISSIONER LAND RECORD on 03/10/2025 04:27 pm

/न्यायालयों/विभिन्न विभागों एवं निकायों में प्रशिक्षण की अवधि एवं विषय वस्तु के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त परिपत्र द्वारा वांछित प्रशिक्षण कार्यक्रम मॉडल कार्यक्रम है, स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यताओं के अनुरूप जिला कलेक्टर के द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। सामान्य तौर पर देखा गया है कि जूनियर प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों को जिला स्तरीय प्रशिक्षण नहीं दिया जाकर सीधे कार्य आंवटित कर दिया जाता है। यह स्थिति उचित नहीं है। सेवा के प्रारंभ में जिस अधिकारी को प्रशिक्षण प्राप्त होता है वह प्रशिक्षण उसकी संपूर्ण सेवा में शासकीय सेवा संपादन में लाभकारी सिद्ध होता है। अतः जिला स्तरीय प्रशिक्षण आवश्यक रूप से दिया जाए, जिसमें अधिकारी को स्थल निरीक्षण, दौरा, अभिलेखों का निर्माण एवं संधारण, न्यायालयीन प्रक्रिया, आदेश पत्रिका एवं आदेश लेखन का कार्य दिया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जिले के किसी वरिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को संबंधित परिवीक्षाधीन अधिकारी का मार्ग दर्शक बनाया जाये।

(III) मिड कैरियर प्रशिक्षण

जूनियर प्रशासकीय सेवा के सदस्यों को प्रथम नियुक्ति नायब तहसीलदार के पद पर प्रदान की जाती है। नायब तहसीलदार के पद पर 5 वर्ष की सेवा के उपरांत वह तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए अर्ह होता है। 05 वर्ष की सेवा के पश्चात एवं तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के पूर्व इन नायब तहसीलदारों को मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाये। मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नानुसार विषयों का समावेश किया जा सकता है।

(1) राजस्व विभाग से संबंधित अधिनियमों दिशा निर्देशों पर रिफ्रेशर कोर्स ।

(2) राजस्व विभाग से संबंधित अधिनियमों, परिपत्रों आदि में अद्यतन संशोधन एवं उनका कियान्वयन।

(3) प्रबंधकीय एवं नेतृत्व क्षमता का विकास ।

(4) राज्य, देश के अन्य राज्यों तथा अन्य देशों में हो रहे भू–प्रबंधन से संबंधित नवाचार।

(5) सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं विभिन्न शासकीय पोर्टलों का उपयोग।

(6) समय एवं तनाव प्रबंधन।

मिड कैरियर प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी रहेगी। प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम 05 सप्ताह की रहेगी जिसमें से एक सप्ताह देश के ख्यातिलब्ध प्रबंधकीय संस्थान में नेतृत्व एंव प्रबंधकीय विकास पर प्रशिक्षण रहेगा। एक सप्ताह का

1/1/1/0017/2025-Estab-CLR (Computer No. 464739)
...ted from eOffice by DEVENDRA KUMAR SONI, AG3(DKS), ASSISTANT GRADE 3, COMMISSIONER LAND RECORD on 03/10/2025 04:23 pm

आयोजित किया जायेगा। मिड कैरियर प्रशिक्षण मे एक सप्ताह का विदेश प्रशिक्षण भी शामिल किया जा सकता है। विदेश प्रशिक्षण के लिये आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी द्वारा चयनित संस्था के माध्यम से अध्ययन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा सकेगा।
उक्त मिड कैरियर प्रोग्राम के लिए प्रशिक्षणार्थियों का चयन यथा सम्भव वरिष्ठता क्रम में किया जाय।

iv समसामयिक एवं अन्य प्रशिक्षण–

वर्तमान मे विभिन्न क्षेत्रों मे विद्यमान चुनौतियों एवं बदलते परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए जूनियर प्रशासकीय सेवा के सदस्यों की क्षमताओं , कौशल के परिमार्जन एवं विकास की आवश्यकता निरन्तर बनी रहेगी । सूचना प्रौघोगिकी एवं सोशल मीडिया के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति हो रही है। विभागीय स्तर पर सेवा प्रदाय के क्षेत्र मे नवाचार किए जा रहे हैं। समय–समय पर कार्य संपादन में प्रबंधकीय क्षमता एंव नेतृत्व क्षमता विकास संबधी प्रशिक्षण की आवश्यकता दृष्टिगोचर हो रही है। इसके अतिरिक्त team building, ethics, negotiation आदि विषयों पर भी प्रशिक्षण का महत्ता प्रतिपादित की जा रही है। अतः इन विषयों पर प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से अल्प कालीन प्रशिक्षणों मे जूनियर प्रशासकीय सेवा सदस्यों को निरंतर नामांकित किया जाए। संस्थाओं का चयन आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी की अनुशंसा पर प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जा सकेगा। प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय से इम्पैनल्ड संस्थाओं मे प्रशिक्षण का वार्षिक कैलेण्डर जारी किया जाये । वार्षिक कैलेण्डर जूनियर प्रशासकीय सेवा के सदस्यों को नामांकित कर प्रशिक्षण आयोजित किया जाये। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा समसामयिक विषयों पर प्रशिक्षण में भी जूनियर प्रशासकीय सेवा के सदस्यों को नामांकित किया जायगा।

कंडिका–5

जूनियर प्रशासकीय सेवा के नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू –अभिलेख संवर्ग हेतु विभागीय परीक्षा के निर्देश

म.प्र. शासन गृह विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ के ज्ञापन क्र.–3/54/98/दो–। दिनांक 19/3/99 के द्वारा विभागीय परीक्षा आयोजन के निर्देश जारी किए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुसार लागू व्यवस्था को म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 10–1/2015/1/9 भोपाल, दिनांक 27/3/2015 द्वारा समाप्त किया गया है। तत्पश्चात से राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों हेतु लागू पाठ्यक्रम अनुसार जूनियर प्रशासकीय सेवा के नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित की जा रही है। राजस्व विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जूनियर प्रशासकीय सेवा के नायब

0. 1/1/1/0017/2025-Estab-CLR (Computer No. 464739)
...ted from eOffice by DEVENDRA KUMAR SONI, AG3(DKS), ASSISTANT GRADE 3, COMMISSIONER LAND RECORD on 03/10/2025 04:37 pm

तहसीलदार/सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख के लिए पृथक स्पष्ट दिशानिर्देश एवं मापदण्ड निर्धारित किया जाना आवश्यक है । अतः जूनियर प्रशासकीय सेवा (नायब तहसीलदार) एवं सहायक अधीक्षक भू –अभिलेख संवर्ग के सदस्यों हेतु निम्नानुसार विभागीय परीक्षा आयोजित की जाए–

विभागीय परीक्षा नियम

1. **विभागीय परीक्षा की तारीख और स्थान–** (1.1) जूनियर प्रशासकीय सेवा के नायब तहसीलदार/ सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख के लिए परीक्षाएँ परिचयात्मक प्रशिक्षण के तत्काल उपरांत आयोजित की जाएगी.

(1.2) प्रत्येक वर्ष न्यूनतम दो बार यथोचित समय पर विभागीय परीक्षा आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित की जाएगी।

2– विभागीय परीक्षा के विषय–
विभागीय परीक्षाएँ निम्नलिखित विषयों में आयोजित की जाएंगी –
(1) प्रशासनिक, राजस्व एवं दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया
(2) सिविल विधि एवं प्रक्रिया, वित्त एवं लेखा तथा स्थानीय शासन
(3) राजस्व विधि एवं प्रक्रिया – आदेश लेखन
(4) दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया – आदेश लेखन

3–विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम– (1) विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम परिशिष्ट–क में वर्णित किया गया है.

4– विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने का स्तर– उत्तीर्ण होने के लिए निम्नानुसार न्यूनतम अंक अर्जित किए जाने होंगे :–

अ.क्र.	विषय एवं प्रश्न पत्र	अवधि	पूर्णांक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
1	2	3	4	5
1.	प्रशासनिक, राजस्व एवं दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया	3 घंटे (प्रत्येक भाग के लिए 1 घंटा)	150 अंक (प्रश्न पत्र के तीन भाग होंगें जिसमें से प्रत्येक के लिये 50 अंक निर्धारित होंगे।)	75
2	सिविल विधि एवं प्रक्रिया . वित्त एवं लेखा तथा स्थानीय शासन	3 घंटे (प्रत्येक भाग के लिए 1 घंटा)	150 अंक (प्रश्न पत्र के तीन भाग होंगे जिसमें से प्रत्येक के लिये 50 अंक निर्धारित होंगे।)	75

0. 1/1/1/0017/2025-Estab-CLR (Computer No. 464739)
...ted from eOffice by DEVENDRA KUMAR SONI, AG3(DKS), ASSISTANT GRADE 3, COMMISSIONER LAND RECORD on 03/10/2025 04:37 pm

3	राजस्व विधि एवं प्रकिया आदेश लेखन	2 घंटे	100	50
4	दाण्डिक विधि एवं प्रकिया आदेश लेखन	2 घंटे	100	50

टीप :— दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों मे कॉलम क्र 05 मे उल्लेखित अंकों से 15 नम्बर की छूट रहेगी। पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थी का परीक्षा कक्ष में लेखन एवं अन्य सहायता हेतु एक सहायक साथ ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन ऐसा सहायक अभ्यर्थी के समकक्ष या अधिक शैक्षणिक योग्यता का एवं राजस्व सेवा का शासकीय कर्मी नहीं होना चाहिए। दृष्टिबाधित अभ्यर्थी को परीक्षा की निर्धारित अवधि के प्रत्येक एक घंटे पर 20 मिनिट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

- विधि स्नातक को प्रश्न पत्र क्र. 01 मे भाग लेने से छूट रहेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जो नियम 7 के अधीन पूर्व में आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों के कारण प्रश्नपत्र 1 अथवा प्रश्नपत्र 2 के किसी एक भाग अथवा दो भागों में छूट के पात्र है उनके लिए शेष भाग/भागों हेतु निर्धारित पूर्णांक के 50 प्रतिशत अंक न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

5— अधिकारियों की वेतनवृद्धि का विनियमन तथा अनुत्तीर्ण होने पर शास्तियाँ— ऐसे अधिकारी जो प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, वे शासन द्वारा समय—समय पर विभिन्न शास्तियों क अध्यधीन हैं, इसके बारे में विवरण परिशिष्ट—ख में सलंग्न है, जिसमें मध्यप्रदेश शासन यथावश्यक संशोधन कर सकता है.

6—परीक्षा का अभिकरण एवं संचालन

(क)— परीक्षा का आयोजन आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी द्वारा किया जाएगा।

(ख)— परीक्षा, प्रशासन अकादमी के नियंत्रण में संचालित की जाएगी,

(ग)— विभिन्न प्रश्न पत्रों को तैयार कराना, मुद्रण तथा उत्तर पुस्तिका की जाँच कराना एवं परिणाम तैयार कराने का दायित्व प्रशासन अकादमी का होगा.

(घ)—सभी प्रश्न पत्र आदेश लेखन के प्रश्न पत्र छोडकर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएंगे। आदेश लेखन संवंधी प्रश्न पत्र हिन्दी भाषा में तैयार होंगे।

(च)— प्रश्न पत्र क्रमांक 1 एवं 2 वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा शेष प्रश्न पत्र विषयनिष्ठ प्रकार के होंगे।

1/1/1/0017/2025-Estab-CLR (Computer No. 464739)
...office by DEVENDRA KUMAR SONI, AG3(DKS), ASSISTANT GRADE 3, COMMISSIONER LAND RECORD on 03/10/2025 04:23 pm

(छ)–आदेश लेखन के प्रश्न पत्र में 70 प्रतिशत अंक आदेश लेखन के लिए निर्धारित होंगे तथा 30 प्रतिशत अंक आदेश से संबंधित प्रश्नों के लिए निर्धारित होंगे।

(ज)– प्रश्न पत्र तैयार किए जाने के दौरान पूर्ण गोपनीयता रखे जाने का सम्पूर्ण दायित्व प्रशासन अकादमी, प्राश्निक (सेटर), परितूलक (मॉडरेटर) एंव मूल्यांकनकर्ता (वेल्यूअर) का होगा.

(झ)– अकादमी में, प्रश्न पत्रों में परितूलक द्वारा परिवर्तन/संशोधन की अनन्य अधिकारिता होगी।

7-- पूर्व में आयोजित परीक्षाओ में उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों में छूट :– परीक्षाओं की पूर्व व्यवस्था में कुल 08 प्रश्न पत्र होते थे। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा उक्त 08 में से कतिपय प्रश्न पत्र उत्तीर्ण कर लिए गए है, उनके लिए निम्नानुसार छूट रहेगी:–

पुरानी व्यवस्था के प्रश्न पत्र जिसमें उत्तीर्ण हैं	नवीन व्यवस्था के प्रश्न पत्र जिसमें उत्तीर्ण होने से छूट रहेगी।
राजस्व, प्रशासनिक विधि तथा प्रक्रिया – प्रथम	प्रथम प्रश्न पत्र का भाग "एक"
राजस्व, प्रशासनिक विधि तथा प्रक्रिया– द्वितीय	प्रथम प्रश्न पत्र का भाग "दो"
राजस्व विधि तथा प्रक्रिया– तृतीय	तृतीय प्रश्न पत्र
दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया – प्रथम	प्रथम प्रश्न पत्र का भाग "तीन"
दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया– द्वितीय	चतुर्थ प्रश्न पत्र
सिविल विधि तथा प्रक्रिया	द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग "एक"
लेखा एवं वित्त	द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग "दो"
मध्यप्रदेश स्थानीय शासन	द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग "तीन"

परिशिष्ट–क

(विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम)

प्रश्न पत्र–एक प्रशासनिक, राजस्व एवं दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया

भाग–1 प्रशासनिक विधि तथा प्रक्रिया

1. सामान्य पुस्तक परिपत्र	भाग एक क्रमांक 07, भाग दो क्रमांक 02,05,07,21 एवं 22, भाग तीन क्रमांक एक, खण्ड दो इत्यादि,
2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण	सम्पूर्ण

/1/1/0017/2025-Estab-CLR (Computer No. 464739)
d from eOffice by DEVENDRA KUMAR SONI, AG3(DKS), ASSISTANT GRADE 3, COMMISSIONER LAND RECORD on 03/10/2025 04:37 pm

3.	मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966.	सम्पूर्ण
4.	मध्यप्रदेश मूलभूत नियम	नियम 11, 12 क, 13, 14, 18, 22, 24, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 127.

भाग–2 राजस्व विधि तथा प्रक्रिया

1.	राजस्व पुस्तक परिपत्र	भाग एक क्रमांक 5, 6, 7, भाग दो, तीन क्रमांक 4, 07, खण्ड चार, भाग छह क्रमांक 03, भाग छः क्रमांक 4 इत्यादि.
2.	मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959	2,11, 27, 33, 34, 44, 47, 50, 51, 57, 89, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 127, 131, 147, 165, 170, 172, 178, 222, 230, 234, 237, 239, 240, 241, 244, 247, 248, 250 आदि.
3.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013.	सम्पूर्ण भू–अर्जन अधिनियम, 1994 एवं भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013

भाग–3 दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया

1. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
   - लोक प्रशांति के विरूद्ध अपराध.
   - वैमनस्यता फैलाने के अपराध तथा राज्य के विरूद्ध किए जाने वाले अपराध (धारा 153 क, 153 ख तथा 295 क)
   - मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध.
   - परिसम्पत्तियों के संबंध में अपराध.
   - लोक सेवकों से संबंधित अपराध.
   - झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना व लोक न्याय के विरूद्ध अपराध.
   - लोक सेवकों के विधिक प्राधिकार की अवमानना.
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
   - अनुवीक्षण.
   - विधि विरूद्ध जमाव को तितर–बितर कराना (धारा 129–132).
   - लोक न्यूसेंस–सिद्धान्त एवं व्यवहार.
   - आपराधिक मामलों में विचारण.
   - परिशांति कायम रखने संबंधी प्रक्रियाएँ अध्याय–आठ धारा 107–127.

/1/1/0017/2025-Estab-CLR (Computer No. 464739)

- स्थावर सम्पत्ति के बारे में विवाद परिशांति भंग होना (धारा 154–148)
- न्यूसेंस या अशांति के खतरे के अर्जेंट (अविलंबनीय) मामले (धारा 144)
- तलाशी एवं अधिग्रहण.
- दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालयीन अवमानना जिलाधीश/उप जिलाधीश/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को विशिष्टतः दण्ड प्रकिया संहिता के अधीन अपराध के प्रशमन में भूमिका.
- पुलिस अन्वेषण.
- दाण्डिक आदेशिकाएँ.
- गिरफ्तारी, हिरासत एवं जमानत.
- अपील, निर्देश तथा पुनरीक्षण धारा 97, 98, 107, 109, 110, 116, 122, 125, 133, 144, 145, 147, 151, 174, 176, 197 आदि.

3. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1955 (केवल वे सम्पूर्ण धाराएं जो राजस्व अधिकारियों को जानना आवश्यक हैं)
4. आयुध अधिनियम 1959 (केवल वे धाराएं जो अधिकारियों को जानना आवश्यक है)
5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (केवल वे धाराएं जो अधिकारियों को जानना आवश्यक है).
6. मोटरयान अधिनियम, 1939 (केवल वे धाराएं अधिकारियों को जानना आवश्यक है).
7. भारतीय वन अधिनियम, 1927 (केवल वे धाराएं अधिकारियों को जानना आवश्यक है).
8. पुलिस अधिनियम, 1861
9. जेल नियमावली।
10. विस्फोटक अधिनियम, 1908।
11. गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994।
12. खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006
13. प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रभावी करने का अधिनियम, 20[illegible]।
14. पंजीयन एवं स्टाम्प अधिनियम, 1908।
15. खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957।
16. मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985।

1/1/1/0017/2025-Estab-CLR (Computer No. 464739)
...from eOffice by DEVENDRA KUMAR SONI, AG3(DKS), ASSISTANT GRADE 3, COMMISSIONER LAND RECORD on 03/10/2025 04:23 pm

18. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013।

19. बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012।

20. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005।

21. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951।

22. दि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961।

प्रश्न पत्र–दो सिविल विधि एवं प्रकिया, वित्त एवं लेखा तथा स्थानीय शासन

भाग–1 सिविल विधि तथा प्रक्रिया

1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केवल वे धाराएं जो अधिकारियों को जानना आवश्यक हैं).

   सामान्य अवधारणाएँ– वाद के प्रकार, वाद दायर करना, वाद का स्थान.

   - पक्षकारों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का प्रभाव.
   - याचिकाओं की सुनवाई तथा निपटारा.
   - न्याय निर्णय तथा डिक्री प्रारंभिक एवं अंतिम.
   - अपील ,निर्देश, पुनरीक्षण और अवयस्कों / मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा एवं उनके विरूद्ध याचिकाएँ .
   - वाद का प्रतिरक्षण.
   - अन्तर्निहित प्रकरण.
   - वाद के पक्षकार आवश्यक एवं उचित पक्षकार–अर्थ.
   - अभिवचन–अर्थ इसका संशोधन, वाद पत्र, लिखित कथन.
   - निषेधाज्ञा.
   - कमीशन जारी किया जाना, उपशमन, मृत्यु एवं विवाद, वाद का प्रत्याहरण करना.

2. विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नियम, 2005.

3. विशेष विवाह अधिनियम, 1954.

4. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951.

5. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 3 से 7, 43, 65, 66, 67, 69, 70, 72).

6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005.

7. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2010.

8. मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961.

9. माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007.

10. अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2008.

1/1/1/0017/2025-Estab-CLR (Computer No. 464739)
...ted from eOffice by DEVENDRA KUMAR SONI, AG3(DKS), ASSISTANT GRADE 3, COMMISSIONER LAND RECORD on 03/10/2025 04:37 pm

11. बाल विवाह से प्रतिषेध अधिनियम, 2006.

भाग–दो लेखा एवं वित्त

9. मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम, 2015.
10. मध्यप्रदेश कोषालय संहिता.
11. पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप नियम (Contract Management) के विशेष संदर्भ में.
12. मध्यप्रदेश कोषालय संहिता.
13. मध्यप्रदेश अवकाश नियम, 1977.
14. आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य.
15. मध्यप्रदेश शासन में योजना एवं बजट प्रक्रिया तथा पद्धतियां.
16. वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन.

भाग–तीन मध्यप्रदेश स्थानीय शासन

1. मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 (केवल वे धाराएं जो अधिकारियों को जानना आवश्यक हैं).

2. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (केवल वे धाराएं जो अधिकारियों को जानना आवश्यक हैं).

3. मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (केवल वे धाराएं जो अधिकारियों को जानना आवश्यक हैं).

4. मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास नियम), 2014.

5. मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन निर्वधन तथा शर्तें) नियम, 1998.

6. सम्पति विरूपण अधिनियम, 1994.

7. नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम, 1973.

प्रश्न पत्र–तीन

राजस्व विधि तथा प्रक्रिया आदेश लेखन

1. राजस्व मामले में आदेश लिखना.

प्रश्न पत्र–चार

दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया आदेश लेखन

1. किसी दाण्डिक मामले में आदेश / निर्णय लिखना।

1/1/1/0017/2025-Estab-CLR (Computer No. 464739)
...ted from eOffice by DEVENDRA KUMAR SONI, AG3(DKS), ASSISTANT GRADE 3, COMMISSIONER LAND RECORD on 03/10/2025 04:37 pm

टिप्पणी.— भविष्य में उक्त पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का संशोधन, उपांतरण तथा आवश्यक सुधार का अधिकार राजस्व विभाग में सुरक्षित होगा.।

परिशिष्ट—ख

विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर शास्तियाँ

क्रमांक	पद का नाम	विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि	सभी विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर शास्ति	वेतन वृद्धियों का विनियमन
1	2	3	4	5
4.	नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक भू—अभिलेख	दो वर्ष	स्थायीकरण नहीं किया जाएगा तथा वेतन वृद्धि रोक ली जाएगी.	विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर परिवीक्षाकाल में रुकी हुई वार्षिक वेतनवृद्धियाँ, बकाया राशि के साथ दे दी जायें तथा भविष्य में भी उन्हें नियमित रूप से वार्षिक वेतनवृद्धियाँ प्रदान की जाए।
5.	पदोन्नत नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक भू—अभिलेख	दो वर्ष	सभी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करने तक स्थायी नहीं किया जाएगा.	विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करने या न करने का उनकी वेतनवृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देय होने पर वेतन वृद्धि दी जाए

कंडिका —6 परिवीक्षा एंव स्थाईकरण —

जूनियर प्रशासकीय सेवा में नियुक्त नायब तहसीलदारों को म0प्र0 जूनियर प्रशासकीय सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2011 के नियम 14 एवं 21 के तहत प्रथमतः दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। इन नायब तहसीलदारों को परिवीक्षा अवधि के दौरान उपरोल्लेखित कंडिकाओं में वर्णित अनुसार विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विहित परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना होगा। यदि राज्य शासन का यह मत है कि वह व्यक्ति उपयुक्त शासकीय सेवक सिद्ध नहीं हो सकेगा तो उसकी सेवाऐं परिवीक्षा की अवधि के दौरान समाप्त की जा सकेंगी। म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8(2) के तहत यदि राज्य शासन उचित समझे तो पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि में वृद्धि कर सकेगा। यदि संबंधित के द्वारा बढ़ाई गई अवधि में भी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न की हों या उस

1/1/1/0017/2025-LR (Computer No. 7...)
...d from eOffice by DEVENDRA KUMAR SONI, AG3(DKS), ASSISTANT GRADE 3, COMMISSIONER LAND RECORD on 03/10/2025 04:27 pm

सेवा के अनुपयुक्त पाया जाए तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी अथवा यथास्थिति पदोन्नत व्यक्ति के मामले में उसकी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी को यदि स्थाई पद उपलब्ध हो तो स्थाई किया जायेगा। पद उपलब्ध न होने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थाई कर दिया गया होता, किन्तु स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका और स्थाई पद उपलब्ध होते ही उसे सेवा में स्थाई कर दिया जाएगा।

परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि (यथास्थिति बढ़ाई गई अवधि सम्मिलित करते हुए) में विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर परिवीक्षाकाल में रूकी हुई वार्षिक वेतनवृद्धियाँ, बकाया राशि के साथ दे दी जायें तथा भविष्य में भी उन्हें नियमित रूप से वार्षिक वेतनवृद्धियाँ प्रदान की जायें। उपरोक्तानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की जा सकेगी।

कंडिका –7 तहसीलदार की शक्तियाँ :–

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 24 के तहत राज्य शासन को राजस्व पदाधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान करने का अधिकार है। उक्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए समय–समय पर नायब तहसीलदारों को तहसीलदार की शक्तियाँ प्रदान की गई है।

राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना कमाक 2849/एफ 7–21/81/सा–1–सात– भोपाल दिनांक 21 अक्टूबर 81 द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (कमांक – 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में एतद विषयक जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिकमित करते हुए, समस्त नायब तहसीलदारों को जिन्होंने नायब तहसीलदार के रूप में अपनी नियुक्ति के पूर्व सहायक भू–अभिलेख अधीक्षक के रूप में कार्य किया हो या जिन्होंने नायब तहसीलदार के रूप में छः मास की सेवा पूरी कर ली हो और जिन्होंने राजस्व विधि तथा प्रकिया में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हों, सभी शक्तियां प्रदान की है जो उक्त अधिनियम द्वारा तहसीलदारों को प्रदत्त की गई है।

राजस्व विधि तथा प्रकिया में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने से आशय यह है कि

0017/2025-Estab-CLR (Computer No. 464739)
eOffice by DEVENDRA KUMAR SONI, AG3(DKS), ASSISTANT GRADE 3, COMMISSIONER LAND RECORD on 03/10/2025 04:37 pm

अतः समस्त नायब तहसीलदारों को जिन्होंने नायब तहसीलदारों के रूप में अपनी नियुक्ति के पूर्व सहायक भू–अभिलेख अधीक्षक के रूप में कार्य किया हो या जिन्होंने नायब तहसीलदार के रूप में छः मास की सेवा पूरी कर ली हो और जिन्होंने प्रश्न पत्र क्रमांक 1 और 3 में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हों, को स्वतंत्र रूप से राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य सौंपा जाना चाहिये।

8/– पूर्व में जारी निर्देशों के तहत की गई कार्यवाहियां मान्य रहेंगी। यह निर्देश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुमन रायकवार)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग

पृ0क0एफ 10–1/2018/सात/4ए भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल।
3. आयुक्त भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
5. सचिव, राजस्व मण्डल ग्वालियर।
6. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
7. समस्त कलेक्टर्स मध्यप्रदेश।
8. समस्त तहसीलदार मध्यप्रदेश।
9. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग

o 1/1/1/0017/2025-Estab-CLR (Computer No. 464739)